

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

करण संख्या 203/2025

नवान :

अमरीक सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़। वादी

बनाम

1. गुरदीप सिंह पुत्र भालसिंह उर्फ बहाल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. गुरदेव सिंह पुत्र भालसिंह उर्फ बहाल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. गुरनाम सिंह पुत्र भालसिंह उर्फ बहाल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. रणजीत सिंह उर्फ मनजीत सिंह पुत्र भालसिंह उर्फ बहाल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. सरजीत सिंह पुत्र भालसिंह उर्फ बहाल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. परमजीत कौर पुत्री भालसिंह उर्फ बहाल सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. स्वर्णकौर पुत्री जोधासिंह पत्नी गुरदीपसिंह जाति जटसिख निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:- 1 अधिवक्ता श्री सुभाषचन्द्र गर्ग

:- वादी

2 अधिवक्ता श्री करनैलसिंह

:- प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 21/7/25




आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग व करनैलसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं० 23 एनजीसी के खाता सं० 139/154 में कुल 3.720 है० में से प्रतिवादीगण सं० 1 ता 6 प्रत्येक का 19/1395 हिस्सा की आराजी

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी

का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं० 23 एनजीसी के खाता सं० 139/154 में से प्रतिवादीगण सं० 1 ता 6 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/7/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




उपखण्ड अधिकारी एवं
(सत्यनारायण R.A.S.)
पदेन महायुक्त कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी।